बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

पत्रांक-डी०एम०सी०-1M–194 / 18......... 6460 (अ) अभि   पटना, दिनांक–..........10/8/23

प्रेषक,

राकेश कुमार,
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमण्डल,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2023–24 में कार्य विभागों द्वारा सरकारी परियोजनाओं के अन्तर्गत हुए व्यय के आलोक में मालिकाना फीस एवं रॉयल्टी की वसूली सुनिश्चित करने के संबंध में।

प्रसंगः– सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग का पत्रांक–3876, दिनांक–25.07.2023

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि पत्र में वर्णित निदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाये।

अनु०:– यथोक्त।

विश्वासभाजन

9/8/23
(राकेश कुमार)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– 6460 (अ)   दिनांक– 10/8/23

प्रतिलिपिः– सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित) / सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/8/23
(राकेश कुमार)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– 6460 (अ)   दिनांक– 10/8/23

प्रतिलिपिः– सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को सूचानार्थ हेतु प्रेषित।

9/8/23
(राकेश कुमार)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– 6460 (अ)   दिनांक– 10/8/23

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

9/8/23
(राकेश कुमार)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

20377
28/7/23
127

अत्यं

2 8 JUL 2023

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

सं0सं0–प्र0–III / का0वि0–03 / 21–3876 / एम0, पटना, दिनांक– 25/7/2023

वितरण शाखा

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0,
सचिव।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / जल संसाधन विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / पंचायती राज विभाग / शिक्षा विभाग / ग्रामीण विकास विभाग / नगर विकास एवं आवास विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / बिहार, पटना।

प्रबंध निदेशक, (MD)
बिहार राज्य पुलिस निर्माण निगम,
बी0एम0पी0–5 कैम्पस, शेखपुरा, पटना–14।

प्रबंध निदेशक,
नेशनल विल्डिंग कंसट्रक्शन कारपोरेशन लि0,
NBCC भवन, चतुर्थ तल, मौर्या टावर, मौर्य लोक कम्प्लेक्स,
डाक बंगला चौराहा, पटना।

प्रबंध निदेशक,
नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन,
लोक नायक जय प्रकाश भवन,
मौर्यलोक, डाक बंगला चौराहा, पटना।

उप मुख्य अभियंता (निर्माण),
पूर्वोत्त रेलवे हाजीपुर, वैशाली।

क्षेत्रीय पदाधिकारी,
सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग विभाग,
17, अनिकेत हाउसिंग कॉपरेटिव सोसाईटी,
आई0ए0एस0 कॉलोनी, किदवईपुरी (एस0के0 नगर), पटना।

मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी,
पूर्व मध्य रेलवे, महेन्द्रू घाट, पटना–800004

कार्यपालक अभियंता,
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग,
पुनाइचक, राजवंशी नगर, पटना।

महाप्रबंधक,
क्षेत्रीय कार्यालय, NHAI, D-63,
प्रथम तल, राजेश कुमार पथ, श्रीकृष्णापुरी,
बोरिंग रोड, पटना।

निदेशक अभि
193
1/8/23

DMC
2422
2/8/23

DDE/अभियंता(CAD)
2-8-23

9953
28/7/23

P.T.O

गैरिसन इंजिनियर
बिहार रेजिमेंट सेन्टर, दानापुर कैन्ट,
दानापुर, पटना।

महाप्रबंधक,
पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड,
पंचम एवं षष्ठम तल, अलंकार प्लेस, बोरिंग रोड, पटना।

मुख्य अभियंता,
बी0एस0एन0एल0, पटना।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2023–24 में कार्य विभागों द्वारा सरकारी परियोजनाओं के अन्तर्गत हुए व्यय के आलोक में मालिकाना फीस एवं रॉयल्टी की वसूली सुनिश्चित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में उल्लेख करना है कि बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019 के नियम 51(1) के अनुसूची III'क' में खनिजवार 'स्वामिस्व दर' अधिसूचित किया गया है, एवं नियम 57 में ''ऐसी मालिकाना फीस की कटौती प्राक्कलन में लगे खनिज मूल्य के 10(दस) प्रतिशत फ्लैट दर पर कार्य विभागों द्वारा अपने आपूर्त्तिकर्त्ता/कार्य ठिकेदारों से की जाएगी और जिले के खनन अधिकारी के पास जमा की जाएगी'' का प्रावधान है। निर्माण कार्य में व्यवहृत लघु खनिजों पर देय मालिकाना फीस उक्त खनिज के निर्धारित स्वामिस्व दर के अतिरिक्त देय है। कतिपय कार्य विभागों द्वारा ई–चालान के सत्यापन किये बगैर ही स्वामिस्व का भुगतान संवेदकों को किया जाता है, जो खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा समय–समय पर जारी की गई नियमों/निदेशों का उल्लंघन है। आप अवगत है कि संवेदक को वैध खदानों से खनिज क्रय कर निर्माण कार्य में उपयोग करना है। खनिज क्रय के समर्थन में संवेदकों को अपने विपत्रों के साथ ही खनन विभाग द्वारा निर्गत ई–चालान की प्रति संलग्न करना है, जिसकी जाँच कार्य विभागों द्वारा ही किया जाना है। विपत्रों के साथ खनिज क्रय के साक्ष्य के रूप में ई–चालान संलग्न नहीं किये जाने की स्थिति में संवेदकों के विपत्र से मालिकाना फीस के अतिरिक्त निर्धारित दर पर स्वामिस्व की वसूली भी की जाती है। वर्त्तमान में कार्य विभागों द्वारा रॉयल्टी/मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) की राशि O-GRAS के माध्यम से सरकार के खनन शीर्ष "0853" में जमा की जाती है।

अतः उक्त आलोक में अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में कार्य विभागों द्वारा नियम 57 में ''ऐसी मालिकाना फीस की कटौती प्राक्कलन में लगे खनिज मूल्य के 10 (दस) प्रतिशत फ्लैट दर पर कार्य विभागों द्वारा अपने आपूर्त्तिकर्त्ता/कार्य ठिकेदारों से की जाएगी और जिले के खनन अधिकारी के पास जमा की जाएगी। इस हेतु अपने विभाग/निगम के अंतर्गत मालिकाना फीस एवं रॉयल्टी की राशि जमा करने हेतु संबंधित को निदेशित करने

P.T.O

126

की कृपा की जाय। साथ ही संवेदक/जमाकर्त्ता से O-GRAS का Receipt प्राप्त कर संधारित करते हुए उसकी छायाप्रति खान एवं भूतत्व विभाग के संबंधित जिला खनन कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

सचिव 27/6/23